

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार धनबाद।

पत्रांक ८४५४ नं० नि०

सेवा में

श्री उमा शर्मा मिश्रा पिला स्थ० रामनाथ मिश्रा स्व०

अभियन्ता - श्री तज्ज्य कुमार पिला स्थ० सुरजदेव तिहं,

पता - मौज, तिनीडीह, मध्यप्रदेश, धनबाद।

धनबाद, दिनांक १३/७/१५

विषय:- आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश न० बी० डी० - ११५/१४-१५ संबंधी आपके आवेदन दिनांक २१.५.१४ के संबंध में।  
महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या - १९०५, ३२३०, ८४८। दाखिल खारिज अभियन्ता संख्या १३-१४, १४-१५ निर्गत लगान् रसीद वर्ष १३-१४, १४-१५ की अभिप्रामाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अनुशांसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी बी० डी० केश न० ११५/१४-१५ के नक्शे की स्वीकृति प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि धूपा.०६ मौजा अन्तर्गत खाता न० ७८ प्लॉट न० ४२५६, ४२५७, ४२६०, ४२६२ रकबा १०७.०६ एकड़ी भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाइसेंसी अभियन्ता श्री डॉ. अमरीक कुमार की देख रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम २ वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबंध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलन निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनिमय के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृत आदेश राज्य सरकार/नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निर्देशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होंगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में २५/१ कुल रु०८/२५० जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा सहायक श्रमायुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

स्वीकृत नक्शे अभियन्ता द्वारा लिखित रूप से निर्मित नक्शे द्वारा सुनिश्चित करेंगे।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार  
धनबाद। १५/८/१५